

भुगतान प्रणाली अनुभाग  
डिजिटल बैंकिंग सेवाएं विभाग  
प्रधान कार्यालय, बेंगलूरु

आरबीआई के निर्देश के अनुरूप, बैंक ने पहले ही 4 जुलाई 2022 से गैर-व्यक्तिगत ग्राहकों द्वारा रुपये 50 करोड़ और उससे अधिक के एनईएफटी और आरटीजीएस चैनल के माध्यम से जावक प्रेषण के लिए एलईआई कोड अनिवार्य कर दिया है।

अब हम गैर-व्यक्तिगत ग्राहकों द्वारा 10.08.2022 से एनईएफटी और आरटीजीएस चैनल के माध्यम से किए जाने वाले रुपये 50 करोड़ और उससे अधिक के **आवक** प्रेषण के लिए लाभार्थी (हमारे ग्राहक) एलईआई कोड अनिवार्य करने का प्रस्ताव करते हैं।

सभी आवक लेनदेन, जिसमें लाभार्थी (हमारे ग्राहक) एलईआई कोड अनिवार्य है, अगर एलईआई के बिना या अमान्य एलईआई के साथ प्राप्त होता है, तो स्वतः वापस / अस्वीकार कर दिया जाएगा। आवक लेनदेन की अनुमति केवल वहीं दी जाएगी जहां:

1. ग्राहकों को CIM17 के अनुसार एलईआई के लिए छूट दी गई है
2. CIM17 में वैध एलईआई कोड मौजूद है
3. ग्राहक श्रेणी व्यक्तिगत है

एलईआई को प्राप्त करने/नवीकरण के लिए, ग्राहक [www.ccilindia-lei.co.in](http://www.ccilindia-lei.co.in) पर जाएं।

हमने रुपये 50 करोड़ और उससे अधिक के एनईएफटी/आरटीजीएस का उपयोग करके लेनदेन करने वाले ग्राहकों को उनके खाते में एलईआई प्राप्त करने और अद्यतन करने के संबंध में शैक्षिक एसएमएस भेजे हैं। एलईआई की आवश्यकता के बारे में भी जानकारी हमारे इंटरनेट बैंकिंग के होम पेज पर स्कॉल हो रही है।

हम इस संबंध में केनराइट्स को अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (ईमेल के माध्यम से) और एसएमएस साझा कर रहे हैं।

हमने इस संबंध में विभिन्न संचारों के माध्यम से शाखाओं/आरओ/सीओ को पहले ही अवगत करा दिया है। शाखाएं नोट करें और अपने उच्च मूल्य वाले ग्राहकों को तदनुसार अवगत कराएं। आरओ और सीओ शाखाओं को जागरूक बनाएं और यह सुनिश्चित करें कि ग्राहकों को गैर-सूचना के अभाव में कोई भी ग्राहक शिकायत प्राप्त न हो।

शाखाएं हमारे परिपत्र संख्या 432/2022 दिनांक 05.07.2022 और परिपत्र संख्या 368/2021 दिनांक 03.06.2021 का संदर्भ लें।

अतुल कुमार  
महाप्रबंधक